भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3344

गुरूवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रामीण होम स्टे का प्रचार और पंजीकरण

3344 श्री हारिस बीरान:

श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2022 से राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण होम स्टे की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) वर्ष 2022 से ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ग) "एक भारत, एक पंजीकरण" पहल के अंतर्गत मंत्रालय के निधि पोर्टल पर पंजीकृत ग्रामीण होम स्टे की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) निधि प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य-वार और वर्ष-वार, कितने पर्यटन या अधिभोग दिवसों की सुविधा प्रदान की गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय, "अतुल्य भारत होमस्टे प्रतिष्ठान" नामक अपनी स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में होमस्टे सुविधाओं के साथ पूर्णतः संचालित कमरों का वर्गीकरण करता है। मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर होमस्टे को दो श्रेणियों, यथा स्वर्ण श्रेणी और रजत श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

"एक राष्ट्र, एक पंजीकरण" पहल के अंतर्गत आतिथ्य उद्योग के राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) पोर्टल पर पंजीकृत ग्रामीण होमस्टे सुविधाओं की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): निधि प्लेटफॉर्म कोई बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इसका कार्य केवल वर्गीकरण स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत पंजीकृत और वर्गीकृत/अनुमोदित इकाइयों के आंकड़े एकत्रित करना है। इसलिए, पर्यटन या अधिभोग के दिनों की संख्या से संबंधित आंकड़े प्लेटफॉर्म पर दर्शाये नहीं जाते हैं।

*****

अनुबंध

श्री हारिस बीरान और श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा ग्रामीण होम स्टे के प्रचार और पंजीकरण के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 3344 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

निधि+पोर्टल पर पंजीकृत ग्रामीण होमस्टे की संख्या:

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
आंध्र प्रदेश	7
अरुणाचल प्रदेश	33
असम	28
बिहार	1
छत्तीसगढ	2
गोवा	26
गुजरात	4
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	68
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	6
केरल	77
लद्दाख	6
मध्य प्रदेश	50
महाराष्ट्र	43
मेघालय	6
नागालैंड	1
ओडिशा	14
पंजाब	3
राजस्थान	9
सिक्किम	16
तमिलनाडु	137
तेलंगाना	2
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	955
उत्तराखंड	93
पश्चिम बंगाल	570

*****